बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 28 ● नई दिल्ली ● बुधवार 05 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का कांग्रेस पर कटाक्ष, कहा कि विपक्ष के पास ना कोई सवाल है ना मुद्दा।

भिवानी ।(वेबवार्ता) हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कांग्रेस के संगठन को लेकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना मुद्दा है ना जमीन बची। श्रुति मंगलवार को तोशाम हलके के कई गांवों में करोड़ों रुपये की विभिन्न योजनाओं की सौगात देने पहुंची थी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मंगलवार को तोशाम हलके के सात गांवों के दौरे पर थी। जहां उन्होंने करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। सबसे पहले श्रुति लोहानी गांव पहुंची। जहां उन्होंने कई दशकों पहले अपने दादा एवं पूर्व सीएम बंसीलाल द्वारा बनाई गई सिंचाई विभाग की वर्कशॉप की 3.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया।

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्र को लगाई फटकार, बोले- हमें भारत सरकार से ऐसी चालबाजी की उम्मीद नहीं थी

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपने की मांग की थी। हम आपको बता दें कि केंद्र की ओर से यह मांग सुनवाई के दौरान अचानक रखी गई थी जब याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी हो चुकी थी। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा, हमें भारत सरकार से ऐसी चालबाज़ी की उम्मीद नहीं थी। अदालत के साथ इस तरह का खेल अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति गवई, जो बीस दिनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह रवैया यह दर्शाता है कि वह मेरी पीठ के समक्ष सुनवाई से बचना चाहती है। पीठ ने कहा, हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से सभी तर्कों को विस्तार से सुना। अटॉर्नी जनरल ने एक बार भी यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार इस मामले को पाँच न्यायाधीशों की पीठ को सौंपना चाहती है। अब, जब बहस पूरी हो चुकी है, तो यह याचिका केवल देरी की रणनीति प्रतीत होती है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने सफाई दी कि सरकार का कोई अनुचित इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इसे संविधान पीठ के पास भेजना उपयुक्त होगा। मगर पीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया।

न्यायमूर्ति गवई ने कठोर टिप्पणी की कि आधी रात को दाखिल यह आवेदन न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। हमने याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी सुन ली है, अब सरकार इस आधार पर सुनवाई को टाल नहीं सकती। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया

कि यदि उसे लगता है कि मामला संविधान की गंभीर व्याख्या से जुड़ा है, तो वह स्वयं इसे पाँच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज सकती है। फिलहाल, अदालत ने आगे की सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। हम आपको बता दें कि केंद्र ने अपने आवेदन में कहा था कि यह मामला संविधान की व्याख्या से जुड़े ऐसे प्रश्न उठाता है जिन पर अनुच्छेद 145(3) के तहत कम से कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ को विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी प्रश्न उठाया गया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय संसद को किसी विशिष्ट रूप में कानून बनाने का निर्देश दे सकता है? और क्या यह विभाजन सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा? देखा जाये तो मुख्य न्यायाधीश गवई की तीखी टिप्पणी केवल किसी एक याचिका या सुनवाई तक सीमित नहीं है, यह शासन और न्यायपालिका के बीच बढ़ती असहजता का संकेत भी है। जब सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़े कि सरकार अदालत के साथ चालबाज़ी न करे, तो यह केवल एक संस्था की फटकार नहीं बल्कि लोकतंत्र के संतुलन पर चिंता की घंटी है।

लोकतंत्र की रीढ़ न्यायपालिका तभी मजबूत रह सकती है जब शासन उसे सहयोगी के रूप में देखे, न कि बाधा के रूप में। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम पर पहले ही अदालत और सरकार के बीच कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। सरकार का यह आग्रह कि मामला संविधान पीठ को भेजा जाए, विधिक दृष्टि से गलत नहीं था,

परंतु इसका समय यानि याचिकाकर्ताओं की बहस के पूर्ण होने के बाद और वह भी आधी रात को आवेदन दाखिल करना, शंकाओं को जन्म देता है। मुख्य न्यायाधीश गवई का यह कहना कि सरकार सुनवाई से बच रही है वस्तुतः इस प्रवृत्ति की ओर संकेत है कि जब भी कोई संवैधानिक सवाल सरकार की नीतियों को चुनौती देता है, तब प्रक्रिया को लंबा खींचने की कोशिश की जाती है। यह न केवल न्यायिक अनुशासन के विरुद्ध है, बल्कि जनता के उस विश्वास पर भी चोट करता है जो अदालत की निष्पक्षता पर टिका है। सरकारों को यह समझना होगा कि अदालतें राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि संविधान की प्रहरी हैं। उनका दायित्व है कि वे सत्ता की सीमाएँ तय करें ताकि लोकतंत्र संतुलित रह सके। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश की यह फटकार इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा का संदेश देती है कि कोई भी सत्ता, चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, न्यायिक प्रक्रिया के साथ खेल नहीं सकती। यह वक्त है जब कार्यपालिका को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि वह अदालतों से टकराने की बजाय उनके प्रति पारदर्शी और उत्तरदायी बने क्योंकि अंततः, न्याय ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।

मनुष्य का उद्देश्य : श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनने का प्रयत्न

डॉ. वीरेन्द्र कुमार शेखर द्वारा रचित पुस्तक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बनें by प्रकृति, पुरुष और हम एक ऐसी कृति है जो मानव अस्तित्व के गहनतम प्रश्नों को अत्यंत सहज, स्पष्ट और दार्शनिक रूप में प्रस्तुत करती है। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मचेतना की ओर एक यात्रा है – एक ऐसा आमंत्रण जो पाठक को अपने भीतर झाँकने, स्वयं को पहचानने और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने इस पुस्तक में भारतीय दर्शन की गहराई, योगदर्शन की सूक्ष्मता और आधुनिक जीवन की व्यावहारिकता को इस प्रकार संयोजित किया है कि यह न केवल चिंतनशील व्यक्तियों के लिए, बल्कि प्रत्येक उस पाठक के लिए उपयोगी बन जाती है जो अपने जीवन में सार्थकता की खोज कर रहा है। डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बनें प्रकृति, पुरुष और हम का आरंभ ही इस विचार से होता है कि हम संयोग नहीं अपितु उद्देश्यपूर्ण हैं। यह एक ऐसी उद्घोषणा है जो पाठक के भीतर तुरंत एक विचार-लहर पैदा करती है – कि क्या हमारा अस्तित्व केवल घटनाओं का परिणाम है, या उसके पीछे कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा है? लेखक इसी विचार को केंद्र में रखकर मानव जीवन के परम प्रश्नों का विवेचन करते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्म व्यक्त भी है और अव्यक्त भी, और उसी के पार भी है – इसलिए उसे परम ब्रह्म कहा गया है। अव्यक्त को व्यक्त करने की प्रक्रिया ही जीवन का सार है, और इसी प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को खोजता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पुस्तक न केवल दार्शनिक चिंतन है, बल्कि आत्मबोध की साधना का भी एक व्यावहारिक मार्गदर्शन है। डॉ. वीरेन्द्र कुमार शेखर का कहना है कि प्रकृति मानवता की सर्वोच्च गुरु है – वह मौन रहकर भी सामंजस्य, धैर्य और पुनर्नवता के शाश्वत पाठ पढ़ाती है। जब मनुष्य अपने जीवन की गति को उसकी लय में साधता है और भारतीय दर्शन के सिद्धान्तों से उसे संयोजित करता है, तब उसके भीतर सुप्त उत्थान आत्मा जाग्रत होकर प्रकाशित होती है। भारतीय ज्ञान की विराट निधि – वेदान्त, योग, सांख्य, बौद्ध और जैन दर्शन – यह सिखाती है कि मानव की सच्ची उन्नति जीवन से पलायन में नहीं, बल्कि तर्क, विवेक और सदाचार के संतुलित समन्वय में निहित है। जब ज्ञान आचरण में परिणत होता है, तब विचार आलोकित होता है और कर्म जीवन के उद्देश्य का माध्यम बन जाता है। ऐसा सामंजस्य ही मनुष्य को लौकिक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक मुक्ति – दोनों की ओर अग्रसर करता है। यह सिद्ध करता है कि जीवन की परम सिद्धि सम्भव? ज्ञान, सद्गुण और सत्कर्म के समन्वय में ही निहित है। आत्मबोध ही जीवन का मर्म है। यही वह बिंदु है जहाँ से मानव अपने वास्तविक स्वरूप की यात्रा प्रारंभ करता है। पुस्तक में यह विचार अत्यंत प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है कि व्यक्ति तब तक अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं पहुँच सकता जब तक वह अपने भीतर के अव्यक्त को पहचानकर उसे व्यक्त नहीं करता। आत्मसाक्षात्कार की यह प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूपांतरण का भी साधन है। व्यक्ति का स्वस्थ होना केवल शरीर की स्थिति नहीं, बल्कि अपने मूल स्वरूप में स्थित रहने की अवस्था है–अर्थात् जब व्यक्ति प्रकृति के परिवर्तनशील प्रवाह के बीच भी अपने भीतर शांति और सजगता बनाए रखता है। पुस्तक में प्रकृति और पुरुष की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्मता से की गई है।

प्रकृति को लेखक गतिशील, परिवर्तनशील और क्षणभंगुर बताते हैं, जबकि पुरुष को शाश्वत, अचल और चेतना का केंद्र मानते हैं। जब मनुष्य इस द्वैत के संतुलन को समझ लेता है, तब वह न केवल बाहरी संसार को जानता है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को भी अनुभव करता है। यही संतुलन जीवन को समरसता और स्थायित्व प्रदान करता है। लेखक का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि आत्मविकास केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक उत्तरदायित्व भी है। जब व्यक्ति अपने श्रेष्ठ स्वरूप की साधना करता है, तब वह केवल स्वयं को नहीं उठाता – वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को भी ऊँचा उठाने का कार्य करता है। आत्मविकास की लहरें व्यक्ति की सीमाओं से परे जाकर दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि लेखक इसे सेवा का सर्वोत्तम रूप कहते हैं। यह विचार पुस्तक को केवल आत्म-सहायता साहित्य की श्रेणी से निकालकर उसे एक व्यापक मानवीय दर्शन में परिवर्तित कर देता है। डॉ. शेखर का लेखन भाषा की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। उन्होंने अत्यंत सरल किंतु गहन भाषा का प्रयोग किया है जो सामान्य पाठक को भी जटिल आध्यात्मिक विचारों को समझने में सक्षम बनाती है। उनका कथ्य भावनात्मक नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण है। वे किसी प्रकार की उपदेशात्मकता से बचते हुए पाठक को सोचने, मनन करने और अपने अनुभवों से निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। पुस्तक में बार-बार यह भावना उभरती है कि जीवन किसी मंज़िल को पाने का नाम नहीं, बल्कि सतत यात्रा है – एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रत्येक दिन आत्म-संशोधन और आत्म-सुधार का अवसर है। लेखक का दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक भी है। वे यह स्वीकार करते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं और संघर्षों से भरा है, परंतु इन्हीं संघर्षों में व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। उनका मानना है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कठिनाइयों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि संघर्ष की उपस्थिति में प्रकट होता है। यही कारण है कि वे भगवद्गीता के श्लोक उद्धरेदात्मनात्मानं का स्मरण कराते हैं – स्वयं के द्वारा ही स्वयं को उठाने का संदेश देते हैं। यह संदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है, जब मानव बाहरी परिस्थितियों को दोष देकर अपने भीतर की सामर्थ्य को भूल जाता है। पुस्तक का दार्शनिक पक्ष गहराई से जुड़ा है भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से – विशेषकर योगदर्शन, वेदान्त और गीता के विचारों से। परंतु यह पुस्तक केवल दर्शन के उद्धरणों तक सीमित नहीं रहती। लेखक ने उन्हें आज के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक संदर्भों में पुनः व्याख्यायित किया है। उदाहरण के लिए, वे स्पष्ट करते हैं कि श्रेष्ठ बनने का अर्थ दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि कल के अपने से बेहतर बनना है। यह वाक्य न केवल प्रेरणादायी है, बल्कि आज के प्रतिस्पर्धी समाज में एक स्वस्थ सोच को स्थापित करता है। पुस्तक के मध्य भाग में लेखक मानव जीवन के विभिन्न स्तरों – शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक – के विकास पर विचार करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर अपने घावों को भरता है, मन समझ की ओर बढ़ता है, हृदय जुड़ाव की तलाश करता है और आत्मा ज्ञान की प्यास रखती है। इन चारों स्तरों का सामंजस्य ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। इस दृष्टि से यह पुस्तक केवल आत्मबोध की चर्चा नहीं करती, बल्कि जीवन के समग्र विकास का एक संतुलित दर्शन प्रस्तुत करती है। डॉ. शेखर के विचारों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है – सजगता वे बार-बार यह संकेत करते हैं कि जागरूकता ही आत्मविकास की जड़ है। व्यक्ति जब अपने विचारों, कर्मों और प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग होता है, तब वह जीवन की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, परंतु उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। यही नियंत्रण उसे बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाकर आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। पुस्तक के अंतिम भाग में लेखक जीवन की अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि हमारे पास समय सीमित है, परंतु प्रयास अनंत है। जीवन का अर्थ इसी प्रयास में निहित है।

यही प्रयास हमारी पहचान बनता है, हमारी ढाल बनता है, और यही हमारे जाने के बाद भी समाज में जीवित रहता है। यह विचार न केवल प्रेरक है, बल्कि पाठक के भीतर एक शांत साहस जगाता है – कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, विकास की दिशा में चलना ही जीवन का कर्तव्य है। लेखक के दार्शनिक निष्कर्षों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आत्म-विकास कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। आज जब समाज नैतिक भ्रम, मानसिक तनाव और पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है, तब ऐसे विचार हमें संतुलन और विवेक की राह दिखाते हैं। लेखक का यह कथन कि हम केवल देह नहीं, चेतना का केंद्र हैं – आधुनिक युग की भौतिकवादी दृष्टि को चुनौती देता है और एक गहन मानवीय दृष्टिकोण को स्थापित करता है। अंततः, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बनें एक ऐसी कृति है जो पाठक को केवल सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे भीतर से बदलने की प्रेरणा देती है। यह पुस्तक आत्मबोध, आत्म-संवेदन और आत्म-साधना की त्रयी को इस रूप में प्रस्तुत करती है कि व्यक्ति इसे अपने जीवन में सहज रूप से लागू कर सके। यह न तो केवल दर्शन है, न केवल प्रेरणा – यह दोनों का समन्वय है।

सम्पादकीय...

गुरु नानक देव..

यह चौदहवीं शताब्दी का समय था जब सिक्ख धर्म अस्तित्व में आया। सिक्ख धर्म का जन्मदाता गुरु नानक को माना जाता है। इस धर्म में उनके बाद नौ गुरु हुए, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना के बाद इसे सतत रूप से आगे बढ़ाया। गुरुनानक का जन्म 1469 ई. गुजरांवाला जिले में तलवंडी नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूराम था तथा माता का नाम तृ था। ऐसा कहा जाता है कि नानक बचपन से ही धीर गंभीर प्रवृत्ति के थे। बुद्धि भी कुशाग्र थी, वे प्रायः दुनिया की ओर से उदासीन रहते थे। नानक को हिन्दी, संस्कृत, फारसी में अच्छा अधिकार प्राप्त था। सिर्फ सोलह वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया। इनके दो ही लड़के थे जिनका नाम श्रीचंद एवं लक्ष्मीदास थे। नानक उन्हें भी साधु संत की संगत में रहने को करते इसलिए कट्टर धार्मिक विचारों और साधु संतों की संगत उनके गृहस्थ जीवन में भी कोई बाधा नहीं खड़ा कर सका था। नानक के काल में भेदभाव, आडम्बर, कपट आदि का बड़ा बोलबाला था। यह सब देखकर वे बड़े क्षुब्ध रहते थे वे हमेशा उक्त विसंगतियों से समाज के सुधार का सोचा करते। गंभीर चिंतन मनन के बाद ही उन्हें एक सुनिश्चित विचारधारा एवं सिद्धांत के अंतर्गत जीवन यापन की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। नानक सत्यमार्ग की खोज में उत्कंठित थे। इसी समय अर्थात युवा आयु में उन्होंने गृहस्थ त्याग अर्थात घरबार को छोड़कर सन्यास धारण कर लिया। इसी दरम्यान उन्हें सत्यमार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। नानक ने अपनी अपनी शिक्षाओं और उपदेशों से समाज में लोगों को आडंबर पूर्ण क्रिया कलापों से बाहर निकालने को प्रेरित करना प्रारंभ किया।नानक ने सिक्ख धर्म की स्थापना की, जो प्रारंभ में तो बिल्कुल धर्म पर आधारित था। पश्चात उस समय की विषम परिस्थितियों एवं सत्ता लोलुपता एवं भ्रष्ट राजाध्यक्षों के अत्याचारों से त्रस्त होकर बाद के गुरुओं ने सिक्ख धर्म को धार्मिक के साथ सैनिकता का भी अमली जामा पहनाया। नानक अपने को भगवान का दूत मानते थे, और उनका कहना था कि ईश्वर एक है, नानक उसका दूत और नानक जो कुछ कहता है सत्य कहता है। नानक की शिक्षायें इस प्रकार है-

पहली शिक्षा- नानक इस्लाम के पैगम्बरवाद को मानते थे। उनका ईश्वर सर्वशक्तिमान, निर्गुण, उदार तथा श्रेष्ठ है।

दूसरी शिक्षा- नानक ने कहा कि धार्मिक आचरण या शुद्ध आचरण से ही सत्यज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।

तीसरी शिक्षा- नानक का कहना था कि, जो सत्यज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का बहुत महत्व है। एक गुरु की महिमा को उन्होंने बहुत महत्व दिया।

चौथी शिक्षा- नानक की शिक्षा थी कि सत्यज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर के सत्यनाम का निरंतर जाप करना चाहिए।

पांचवी शिक्षा- वे आवागमन को मानते थे, और कहते थे कि जब तक मनुष्य की आत्मा, को सत्य का ज्ञान नहीं हो जायेगा, तब तक वह आवागमन के चक्कर में पड़ी दुःख भोगते रहेगी।

छठवीं शिक्षा- नानक, ऊंच नीच भेदभाव, मूर्तिपूजा, पाखंड तथा अंध विश्वासों के विरुद्ध थे।

वैसे तो वे सन्यास को भी ठीक नहीं मानते थे उनका कहना था कि शुद्ध आचरण तथा पवित्र जीवन ही जीव की मुक्ति का साधन है। उनकी दृष्टि में हिन्दू, मुसलमान, कुरान और रामायण सब बराबर थे। गुरुनानक के बाद सिक्ख धर्म को बढ़ाने के लिए अन्य और नौ गुरु हुये, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है गुरु अंगद सिक्खों के दूसरे गुरु अंगद थे। अंगद ने उत्तर भारत की लिपियों को मिला जुलाकर गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नानक की शिक्षाओं के प्रचारार्थ उन्होंने कई केन्द्र स्थापित किए जहां नानक की शिक्षाओं पर चर्चायें तथा सत्संग होता था। गुरु आनंद ने नानक की रचनाओं को इकट्ठा करके उनका एक संग्रह तैयार किया। गुरु अमर दास गुरु आनंद के उत्तराधिकारी गुरु अमरदास हुये। उन्होंने सिक्ख धर्म में से उदासियों को अलग कर दिया। गुरु अमरदास ने बहुत सी मंझिया स्थापित की, जिनमें उन्होंने एक धर्म शिक्षक रखा, जो नानक की शिक्षाओं का प्रचार करता था। गुरुदास गुरुरामदास अमरदास के दामाद थे। उन्होंने ही वर्तमान अमृतसर नगर की नींव डाली थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव भी इन्हीं के समय में डाली गई। गुरु रामदास ने मसंद प्रथा चलाई। गुरु अर्जुनदेव पांचवे गुरु थे। उन्होंने अमृतसर में स्वर्णमंदिर को बनवाने का काम पूरा कराया। इसके अलावा तरनतारन और करतार में भी उन्होंने सिक्ख मंदिर बनवाये। गुरु अर्जुन देव ने गुरुओं की गद्दी अमृतसर में स्थापित की। उन्होंने अपने से पहले के गुरुओं की शिक्षाओं तथा अन्य संप्रदायों की शिक्षाओं को एकत्रित करके उनका एक संग्रह बनाया। यही ग्रंथ सिक्खों की आदिग्रंथ कही जाती है। गुरु अर्जुनदेव ने मसंद प्रथा को एक सुंदर व व्यवस्थित रूप प्रदान किया। गुरु हरगोविंद ने अपने को सिक्खों का धार्मिक नैतिक तथा राजनैतिक नेता दोनों घोषित कर दिया। उन्होंने अमृतसर में एक सदृढ़ किला बनवाया। अपने अनुयायियों को सैनिक शिक्षा में पारंगत भी किया। गुरु हरराय गुरुगोविंद के बाद उनके पुत्र हरराय व सिक्खों की हत्या करवा देना देने का षड्यंत्र था, पर इस काम मे विरोधियों को सफलता नहीं मिल पाई 71661 ई. में गुरु हरराय की मृत्यु हो गई। गुरु हर कृष्ण गुरु हरराय की मृत्यु के बाद हरकृष्ण सिक्खों के नेता बने। पर तीन वर्ष बाद ही चेचक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। गुरु हरकृष्ण के बाद 1664 ई. में तेग बहादुर गुरु बने। उन्होंने सिक्ख जाति को संगठित किया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा की। औरंगजेब इनको भी मरवा डालना चाहता था। काश्मीर में हिन्दुओं के मामले को लेकर जब गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब का विरोध किया तो 1675 ई. में औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुला भेजा। वहीं उसने गुरु का वध करवा दिया। सिक्खों के दसवें और अंतिम गुरु ने कौम के अंदर नई चेतना उत्पन्न कर दी। उनका कहना था कि जब सब उपाय असफल हो जायें, तो तलवार उठाना ही न्यायसंगत है।

बिहार में प्रचार शबाब पर

बिहार चुनावों के पहले चरण के मतदान में अब दो दिन का ही समय शेष रह गया है और अगले 24 घंटे बाद चुनाव प्रचार भी थम जायेगा अतः सत्तारूढ़ एनडीए व विपक्षी महागठबन्धन ने जमीन पर अपने-अपने स्टार प्रचारकों को उतार रखा है। कहा जा सकता है कि राज्य में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। भाजपा वाले एनडीए के प्रचार की कमान स्वयं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संभाल रखी है और गृहमन्त्री अमित शाह भी स्टार प्रचारक हैं, जबकि कांग्रेस वाले महागठबन्धन की तरफ से श्री राहुल गांधी व उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी के अलावा श्री लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार की कमान सौंप रखी है। इसमें अब कोई दो राय नहीं हो सकती कि चुनावी जमीन पर लोगों के मुद्दे तैर रहे हैं जिनका आकलन करना सामान्यतः असंभव नहीं होता है। ये मुद्दे महंगाई से लेकर बेरोजगारी के हैं जिन्हें विपक्षी महागठबन्धन केन्द्र में रखना चाहता है। इसके साथ ही महागठबन्धन की कोशिश है कि राज्य के विकास का मुद्दा भी केन्द्र में लाया जाये जबकि भाजपा की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इस विकास के मुद्दे के साथ 20 साल पहले के उस लालू राज के मुद्दे को भी जोड़ दिया जाये जिसे वह जंगल राज बता रहा है। चुनावों का यह नियम होता है कि चुनाव वही पार्टी या गठबन्धन जीतता है जिसका विमर्श जमीन पर चलने लगता है। दोनों ही गठबन्धन एकदूसरे पर जमकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं और दोनों को ही अपने-अपने जातिगत गठबन्धनों पर भरोसा है। मगर चुनावों में यह देखना होता है कि आम जनता कौन सा गठबन्धन बना रही है ? बिहार की जनता या मतदाता राजनैतिक रूप से बहुत सजग माना जाता है क्योंकि मौका पड़ने पर यह जातिगत आग्रहों को उठा कर ताक पर भी रख देता है। महागठबन्धन के नेता कह रहे हैं कि 20 साल से (केवल 17 महीने छोड़कर) बिहार में राज कर रही नीतीश कुमार की सरकार को अब 'अलविदा' कहने का समय आ गया है। मगर सबसे ज्यादा आश्चर्य यह है कि विपक्ष के निशाने पर राज्य के मुख्यमंत्री व जद(यू) नेता श्री नीतीश कुमार नहीं है जबकि भाजपा कह रही है कि एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। केवल नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर महागठबन्धन के नेता कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे हैं मगर नीतीश बाबू भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राज्य में भाजपा के साथ मिलकर ही नीतीश बाबू सरकार चला रहे हैं अतः इस सरकार के पिछले कार्यकलापों के बारे में हिसाब मांगना लोकतन्त्र में विपक्ष का दायित्व माना जाता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है जिसके चलते हर वर्ष लाखों बिहारी देश के अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। हालांकि एनडीए ने अपने घोषणापत्र में आगामी वर्षों में एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है लेकिन विपक्ष इसी सवालों के घेरे में ले रहा है और पूछ रहा है कि पिछले बीस सालों में राज्य में सबसे ज्यादा पांच लाख नौकरियां उन्हीं 17 महीनों की सरकार के दौरान दी गई जब तेजस्वी बाबू नीतीश सरकार में ही उप मुख्यमन्त्री थे। इस दौरान नीतीश बाबू ने भाजपा का दामन छोड़ दिया था और उन्होंने लालू जी की पार्टी राजद के साथ मिल कर सरकार चलाई थी।

वैसे इन दोनों पार्टियों ने 2015 का मिलकर चुनाव लड़ा था और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तब भाजपा ने अपने दम पर ही 243 सदस्यीय विधानसभा में 52 सीटें प्राप्त की थीं और यह विपक्ष में बैठी थी। खैर अब यह इतिहास की बात हो चुकी है, वर्तमान सन्दर्भों में मुद्दे की बात यह है कि क्या नीतीश बाबू चुनावों में अपने गठबन्धन का बहुमत ले आयेंगे? बिहार की मिट्टी को सूंघ कर हवा का रुख बताने वाले विश्लेषक यह मानते हैं कि इस बार बिहार की जनता निर्णायक फैसला देने जा रही है

अर्थात 2020 की तरह यह उहापोह की स्थिति में नहीं रहेगी और एनडीए व महागठबन्धन में से किसी एक को भारी बहुमत देगी। 2020 के चुनावों में एनडीए व महागठबन्धन के कुल वोटों में केवल 12 हजार (0.3 प्रतिशत) का ही अन्तर था। इसके बावजूद नीतीश बाबू के एनडीए को एक दर्जन सीटों की बढ़त मिल गई थी। विश्लेषकों की राय है कि इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसे देखते हुए जमीन पर चुनावी प्रचार का लेखा-जोखा किया जा सकता है। प्रधानमन्त्री समेत एनडीए के नेता कह रहे हैं कि यदि महागठबन्धन सत्ता में आया तो 20 साल पहले का जंगल राज फिर लौट आयेगा, जबकि विपक्षी महागठबन्धन की दलील है कि यदि एनडीए की सत्ता में वापसी हुई तो नीतीश बाबू को भाजपा मुख्यमन्त्री नहीं बनने देगी और इस पद पर अपने ही किसी दूसरे नेता को बैठायेगी। जाहिर है यह सवाल नीतीश कुमार को परेशान कर सकता है जिसकी वजह से भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि एनडीए के शासन में यह पद खाली नहीं रहेगा क्योंकि नीतीश बाबू वर्तमान में भी मुख्यमन्त्री हैं और आगे भी रहेंगे। अभी तक विश्लेषक बिहार के जातिगत गणित पर ही चुनावी विजय के आंकड़ों की समीक्षा करते रहे हैं। असलियत यह है कि इस प्रकार के आंकड़े बिहार की प्रबुद्ध जनता के अपमान की तरह होते हैं क्योंकि यह वह जनता है जिसने 1974 में स्व. जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विभिन्न राजनैतिक बुराइयों के खिलाफ जन आन्दोलन किया था और जेपी को 'लोकनायक' का दर्जा दिया था। दरअसल चुनावी विश्लेषक भी सरल रास्ता अपनाते हैं और राजनैतिक दलों द्वारा व्याख्यायित विजय आंकड़े के फेर में जाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि राजद के पक्ष में मुस्लिम व यादव के कुल 32 प्रतिशत वोट गारंटी शुदा बताये जा रहे हैं और नीतीश बाबू के पक्ष में महादलितों की कुल संख्या। ऐसी गणनाएं अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं क्योंकि बिहार बलबाली राजनीति के दौर से बाहर आने को कुलबुला रहा है। बिहार में युवा बेरोजगारी की दर 10.8 प्रतिशत है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि राज्यभर में केवल एक लाख 35 हजार 464 लोग ही बड़ी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं जिनमें से केवल 34 हजार 470 लोग ही स्थायी कर्मचारी हैं। बाकी सब ठेके पर काम करते हैं। बिहार की कुल आबादी साढ़े 13 करोड़ के लगभग है जो कि दो करोड़ 76 लाख परिवारों में बंटी हुई है। इन परिवारों में 64 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी दस हजार रु. से भी कम है।

शांति का राग और परमाणु परीक्षण !

एक पुरानी कहावत है कि आप अपने असली चेहरे को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी यही हुआ है, अभी तक वे शांति का राग कुछ इस तरह अलाप रहे थे जैसे कि उनसे बढ़कर शांति का मसीहा कोई और अब तक पैदा ही नहीं हुआ है लेकिन रूस ने परमाणु संचालित मिसाइल का परीक्षण क्या कर लिया, ट्रम्प ने तो सीधे परमाणु परीक्षण के ही आदेश दे दिए। शांति का राग महज दिखावा साबित हुआ। ट्रम्प लगातार कहते रहे हैं कि वे दुनिया से अशांति खत्म करना चाहते हैं। वे दावे भी करते रहे हैं कि उन्होंने कई युद्ध खत्म कराए हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है। भारत-पाकिस्तान के बीच जंग खत्म कराने का उनका दावा झूठा साबित हुआ। कांगो और रवांडा के बीच भी जंग खत्म नहीं हुई है। मिस्र और इथोपिया के बीच कोई जंग थी ही नहीं, केवल पानी को लेकर कुछ विवाद था। सर्बिया और कोसोवो में तनातनी बनी हुई है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद में शांति है लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हुआ लेकिन इजराइल ने फिर भी कई हमले किए हैं। पिछले सप्ताह ही गाजा में सौ से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रम्प इजराइल की तरफदारी कर रहे हैं और हमास ने बात नहीं मानी तो उस पर हमले की चेतावनी भी दे रहे हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि ट्रम्प शांति का यह कैसा राग अलाप रहे हैं? इस राग में तो अशांति छिपी नजर आती है। मगर रूस की एक चाल ने ट्रम्प के राग शांति की पोल खोल कर रख दी। हुआ यह कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित खास तरह की मिसाइल का परीक्षण किया जो करीब 15 घंटे हवा में थी और इस दौरान कई बार उसकी दिशा बदली गई। इस मिसाइल पर परमाणु वार हेड लगाया जा सकता है और यह मिसाइल इतनी चालाक है कि वह हर तरह के रडार को चकमा दे सकती है। यानी ये मिसाइल अचूक है, वैसे तो रूस ने इस तरह की मिसाइल की घोषणा 2018 में ही कर दी थी और 2023 में पुतिन ने इसके परीक्षण की सफलता का दावा भी कर दिया था लेकिन पश्चिम के देशों ने इसे रूस का केवल दावा करार दिया था, अब रूस ने फिर से परीक्षण कर दिया तो अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों, खासकर नाटो की तो जान ही सूख गई। अमेरिका यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हथियारों की होड़ में रूस उससे आगे निकल जाए? डोनाल्ड ट्रम्प तत्काल मैदान में आ गए और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वार को उन्होंने फिर से परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। लगे हाथ उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा परमाणु हथियार हैं! यह उपलब्धि भी उनके पहले कार्यकाल में हासिल हुई थी। तो सवाल उठता है कि यदि पहले से ही आपके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं तो फिर नए सिरे से परीक्षण की जरूरत क्या है? दरअसल सबसे ज्यादा परमाणु हथियार होने का उनका दावा सच के करीब नहीं है। 2022 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया था कि रूस के पास 5977, अमेरिका के पास 5428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 तथा ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं।

मैराथन मैन अनिल अंबानी कैसे कारोबारी दौड़ में पिछड़ कर कानूनी ट्रैक में फंस गये?

नीरज कुमार दुबे।

कभी भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता का प्रतीक कहे जाने वाले अनिल अंबानी आज उस दौर में खड़े हैं जहाँ उनका नाम किसी बिजनेस मॉडल से नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से जुड़ा दिखाई देता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की गयी है जिसमें मुंबई के पाली हिल स्थित उनका घर और रिलायंस समूह की कई प्रतिष्ठित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। यह सिर्फ एक कारोबारी पर कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक जवाबदेही की दिशा में एक निर्णायक संदेश है। देखा जाये तो यह मामला सिर्फ एक उद्योगपति के पतन की कहानी नहीं, बल्कि उस तंत्र की परीक्षा है जो यह दिखा रहा है कि धन और प्रभाव अब कानून से ऊपर नहीं है। ईडी की जांच के मुताबिक, अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों– रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम), रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने पिछले एक दशक में सरकारी और बैंकिंग संस्थानों से हजारों करोड़ रुपये जुटाए। आरोप है कि इनमें से बड़ी रकम समूह की अन्य कंपनियों या संबद्ध इकाइयों में स्थानांतरित की गई और कुछ धनराशि विदेशों में फर्जी कंपनियों के ज़रिए भेजी गई। ईडी ने यह भी दावा किया है कि एक कंपनी से लिए गए ऋण का उपयोग दूसरी कंपनी के ऋण चुकाने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने में किया गया, जो सीधे तौर पर ऋण की शर्तों का उल्लंघन था।

बहरहाल, कभी मैराथन मैन कहे जाने वाले अनिल अंबानी, जो 40 की उम्र के बाद अपने अनुशासन और फिटनेस से प्रेरणा का प्रतीक बने थे, आज आर्थिक और कानूनी लड़ाई की दौड़ में पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। वह केवल कारोबारी जगत की शख्सियत नहीं थे, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी उनका प्रभाव माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले समर्थक माने जाने वाले अनिल अंबानी ने 2014 के बाद के दौर में खुद को नए भारत के औद्योगिक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था। मगर आज तस्वीर उलट चुकी है— सत्ता से नज़दीकी भी उन्हें न तो वित्तीय पतन से बचा पाई, न ही ईडी की सख्ती से। यह समय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्थायित्व सत्ता से नहीं, बल्कि सत्य और पारदर्शिता से आता है। दौड़ चाहे फिटनेस की हो या वित्त की, अगर नियम टूटते हैं, तो मंज़िल तक पहुँचने वाला भी रास्ता खो देता है।

यह तथाकथित एवरग्रीनिंग मॉडल, जहाँ पुराने ऋण को नए ऋण से ढका जाता है, भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे पुरानी बीमारी रही है। हम आपको याद दिला दें कि अनिल अंबानी का उदय भारतीय उदारीकरण के स्वर्णकाल का प्रतीक था। उनके प्रोजेक्ट्स– टेलीकॉम से लेकर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर तक, 90 के दशक की नई आर्थिक नीतियों के पोस्टर चाइल्ड थे। परंतु वही पूंजीवाद, जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए था, धीरे-धीरे कॉर्पोरेट कार्टेल में बदल गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस की गिरावट से शुरू हुआ वित्तीय संकट अब कानूनी संकट में तब्दील हो चुका है। पहले यह मामला बाजार की असफलता कहा जाता था, अब इसे वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में देखा जा रहा है। जब किसी समय बैंकों ने 31,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इस समूह को ऋण स्वरूप दी थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि 19,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि एनपीए बन जाएगी और उसके बाद जांच एजेंसियों को धनशोधन का पैटर्न मिलेगा। देखा जाये तो ईडी की ताज़ा कार्रवाई को महज़ एक उद्योगपति के खिलाफ कानूनी कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारत की आर्थिक पारदर्शिता के उस नए युग की घोषणा है जिसमें ब्रांड वैल्यू से ज्यादा सत्यापन मूल्य मायने रखता है। हाल के वर्षों में, प्रवर्तन एजेंसियों पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। परंतु जब ईडी जैसे संस्थान एक ऐसे उद्योगपति पर कार्रवाई करते हैं, जो कभी भारत की कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा का चेहरा था, तो यह संकेत देता है कि आर्थिक अपराध की रेखा अब राजनीतिक समीकरणों से परे खींची जा रही है। अनिल अंबानी का मामला यह दिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर उसने बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग किया, तो जवाबदेही तय होगी। देखा जाये तो यह कार्रवाई उस दौर में हुई है जब भारत की आर्थिक व्यवस्था में जनता का भरोसा दोतरफा दबाव में है। एक ओर कॉर्पोरेट घोटालों की गूंज, दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न। ऐसे में जब ईडी सैकड़ों पन्नों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ठोस संपत्ति कुर्क करती है, तो यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता के विश्वास की पुनर्संस्थापना है। हालांकि यह भी सच है कि कई मामलों में ईडी की जांच वर्षों तक अदालतों में उलझ जाती है और ठोस दंडात्मक परिणाम सामने नहीं आते। इसलिए यह आवश्यक है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, तेज़ और न्यायोचित रहे क्योंकि यदि न्याय देर से मिलेगा, तो संदेश खो जाएगा। अनिल अंबानी केस से निकले व्यापक सबक को देखें तो भारत के निजी क्षेत्र में ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया और उससे जुड़ी जवाबदेही पर यह मामला बड़ा सवाल उठाता है। बैंकिंग सेक्टर में केवल क्रेडिट स्कोर नहीं, बल्कि कंट्रोल स्कोर की भी निगरानी आवश्यक है, यानी, पैसा कहाँ और कैसे जा रहा है, इसका ट्रैक पारदर्शी होना चाहिए। देखा जाये तो लंबे समय तक भारत में उद्योग और सत्ता के रिश्ते इतने गहरे रहे कि जवाबदेही धुंधली पड़ गई है। हालांकि यह मामला यह संदेश देता है कि सत्ता से समीपता अब सुरक्षा कवच नहीं है। देखा जाये तो अनिल अंबानी की कहानी एक व्यक्ति की असफलता भर नहीं है, बल्कि उस प्रणाली का आईना है जिसने दशकों तक कर्ज के सहारे साम्राज्य खड़ा करने की अनुमति दी। अब जब वही व्यवस्था कठोर जांच के घेरे में है, तो यह न केवल एक उद्योगपति का पतन है, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट संस्कृति के आत्ममंथन का क्षण भी है। यह कार्रवाई आने वाले समय के लिए संकेत देती है कि भारत का आर्थिक नियमन अब कर्ज वितरण की जगह कर्ज अनुशासन पर आधारित होगा। और जो भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करेगी, वह कानून की पकड़ से नहीं बच पाएगी, भले ही उसका नाम अंबानी ही क्यों न हो। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई एक ऐतिहासिक मोड़ है क्योंकि यह केवल एक नाम पर नहीं, बल्कि उस सोच पर प्रहार है जो मानती थी कि प्रभावशाली लोग जवाबदेही से मुक्त हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में यह दिन इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इसने स्पष्ट कर दिया है कि धन का आकार चाहे जितना भी बड़ा हो, कानून की रेखा उसके ऊपर नहीं खींची जा सकती। यह संदेश केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शासनतंत्र के लिए है कि कानून की दिशा वही है जहाँ जवाबदेही जीवित है।

बहरहाल, कभी मैराथन मैन कहे जाने वाले अनिल अंबानी, जो 40 की उम्र के बाद अपने अनुशासन और फिटनेस से प्रेरणा का प्रतीक बने थे, आज आर्थिक और कानूनी लड़ाई की दौड़ में पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। वह केवल कारोबारी जगत की शख्सियत नहीं थे, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी उनका प्रभाव माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले समर्थक माने जाने वाले अनिल अंबानी ने 2014 के बाद के दौर में खुद को नए भारत के औद्योगिक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था। मगर आज तस्वीर उलट चुकी है– सत्ता से नज़दीकी भी उन्हें न तो वित्तीय पतन से बचा पाई, न ही ईडी की सख्ती से। यह समय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्थायित्व सत्ता से नहीं, बल्कि सत्य और पारदर्शिता से आता है। दौड़ चाहे फिटनेस की हो या वित्त की, अगर नियम टूटते हैं, तो मंज़िल तक पहुँचने वाला भी रास्ता खो देता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्थरवाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08862)

बख्शे नहीं जाएंगे प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले केमिस्ट : आरती सिंह राव

चंडीगढ़ ।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि अवैध नशीली दवाओं की बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे कोई भी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर मालिक जो प्रतिबंधित या नशीली दवाओं की बिक्री करते पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत और खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के आयुक्त मनोज

निरीक्षण के लिए 8 टीमें गठित, नियमों का उल्लंघन करने वाली 16 दुकानें सील की गई

कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि जिला सिरसा में अवैध नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया।

इस अभियान में 35 सीनियर ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स और विभिन्न जोनों एवं जिलों से आए ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर्स ने भाग लिया। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 8 विशेष टीमें गठित की गईं, जिन्हें उन केमिस्ट दुकानों पर अचानक निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया जहाँ पर साइकोट्रोपिक / दोहरे उपयोग वाली दवाओं के दुरुपयोग की आशंका थी। इस छापेमारी की प्रत्यक्ष निगरानी राज्य ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल ने की। उनके साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय से तीन असिस्टेंट स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर्स परविंदर सिंह, करण सिंह गोदारा और राकेश दहिया भी उपस्थित रहे। छापेमारी अभियान सिरसा जिले के कई क्षेत्रों जैसे कालांवाली, बड़ागुढ़ा, डबवाली, रानियां, ऐलनाबाद और सिरसा शहर में एक साथ चलाया गया।

निरीक्षण कल सुबह 11:30 बजे शुरू होकर शाम 6:00 बजे तक जारी रहा। इस अभियान के दौरान 67 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार 16 दुकानें रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने और अन्य उल्लंघन पाए जाने पर सील की गईं। अभियान के दौरान 15 सैंपल लिए गए। गड़बड़ी पाए जाने वाली सभी दुकानों को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियम 1945 के तहत की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि नशीली दवाओं का अवैध व्यापार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध : आरती सिंह राव

चंडीगढ़ । हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में राज्यभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। आरती सिंह राव ने प्रत्येक व्यक्ति से धैर्यपूर्वक उनकी समस्या का विवरण सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समस्याएं सुनते समय मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे प्रत्येक मामले की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर उन्हें उपलब्ध कराएं और यह सुनिश्चित करें कि समाधान पारदर्शी और प्रभावी हो। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

भाजपा के अंदर सियासी उथल-पुथल! पार्टी के अपने नियम बने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में संकट

नई दिल्ली । एमसीडी के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा में उम्मीदवार तय करने के मामले में जबरदस्त मंथन चल रहा है। हालांकि, वह टिकट वितरण के मामले में अपने ही बनाए नियमों के जाल में उलझती नजर आ रही है। दरअसल, भाजपा ने उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवार चयन के लिए कुछ सख्त नियम तय किए थे। इसके तहत किसी भी नेता के परिजनों या रिश्तेदारों को टिकट नहीं देना और किसी बाहरी व्यक्ति को मौका न देना, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इन नियमों का पालन करना पार्टी के लिए जीत की संभावनाओं पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने संगठन स्तर पर जो सर्वे कराया, उसमें अधिकांश वार्डों में पार्टी के कार्यकर्ताओं का जनाधार कमजोर पाया गया। स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के पास जनसंपर्क तो है, लेकिन जीतने की क्षमता नहीं। वहीं कई वार्ड ऐसे हैं जहां विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के

संभावित उम्मीदवार मजबूत माने जा रहे हैं। इस वजह से भाजपा को अपने उम्मीदवार तय करने में कठिनाई आ रही है। पार्टी के अंदरूनी हलकों में माना जा रहा है कि अगर अपने तय नियमों का सख्ती से पालन होता है, तो कई वार्डों में मुकाबला कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में हार का जोखिम बढ़ जाएगा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि नियमों से यादा अहम जीत है, इसलिए अब इन नियमों में कुछ नरमी बरतने की तैयारी हो रही है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के कई नेताओं ने अपने बेटों, बेटियों, पत्नियों और भतीजों के लिए टिकट की जोरदार पैरवी शुरू कर दी है। खासतौर पर वे नेता, जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। अब उपचुनाव में परिवार के सदस्य को मौका दिलाने के प्रयास में जुट गए हैं।

बाहरी नेताओं को लेकर भी खींचतान

कुछ वार्ड ऐसे हैं, जहां भाजपा के पास स्थानीय चेहरा नहीं है। वहां पार्टी दूसरे वार्डों या जिलों के नेताओं को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस पर भी पार्टी के भीतर विरोध है। कई कार्यकर्ता बाहरी उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं और इसे स्थानीय कार्यकर्ताओं के अपमान के रूप में देख रहे हैं।

पहले दिन किसी ने नहीं किया नामांकन दाखिल

उपचुनाव की सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 नवंबर तक चलेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि पहले दिन एक भी वार्ड में किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया।

जानकारी के अनुसार, वार्ड 35-मुंडका, 56-शालीमार बाग बी, 65-अशोक विहार, 74-चांदनी चौक, 76-चांदनी महल, 120-द्वारका बी, 128-दिचाऊं कलां, 139-नारायणा, 163-संगम विहार ए, 164-दक्षिणपुरी, 173-ग्रेटर कैलाश और 198-विनोद नगर में नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चली।

ब्लैक मनी को व्हॉइट करने की कोशिश की..., मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ब्यूटी इंफ्लुएंसर संदीपा विर्क को नोटिस

नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ब्यूटी इंफ्लुएंसर संदीपा विर्क और आरोपी अमित गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर ने दोनों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत प्री-समनिंग साक्ष्य पेश करने के लिए नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है। वहीं, कोर्ट ने संदीपा विर्क की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले में संदीपा विर्क को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और जांच से स्पष्ट हुआ है कि संदीपा विर्क ने झूठे वादों और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से धन वसूला। ईडी ने बताया कि यह मामला मूलरूप से फेज-8, मोहाली पुलिस थाने में वर्ष 2016 में आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज हुआ था। जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया और ईडी ने इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी की जांच में सामने आया कि संदीपा विर्क ने अपने नाम पर अचल संपत्तियां (प्रॉपर्टी) खरीदकर काले धन को सफेद करने की कोशिश की। वह खुद को हायबूकेयर.कॉम वेबसाइट की मालिक बताती हैं, जो दावा करती है कि वह एफडीए अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। हालांकि, ईडी के अनुसार वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद वास्तव में मौजूद नहीं हैं। ईडी ने 12 और 13 अगस्त 2025 को दिल्ली और मुंबई में तलाशी अभियान चलाए थे। जांच एजेंसी का कहना है कि वेबसाइट में यूजर रजिस्ट्रेशन विकल्प नहीं है, पेमेंट गेटवे में बार-बार दिक्कत आती है, इंटरनेट मीडिया पर कोई गतिविधि नहीं है और फर्जी एफडीए सर्टिफिकेट दिखाए गए हैं। ईडी का दावा है कि इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वेबसाइट एक फर्जी प्लेटफार्म के रूप में बनाई गई थी ताकि धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

पोस्को एक्ट के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कानूनी जागरूकता फैलाने की दी सलाह

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पोस्को एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के बढ़ते दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक कलह और किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों के मामलों में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने पुरुषों में कानूनी प्रावधानों की जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बलात्कार के दंडात्मक प्रावधानों और पोस्को एक्ट के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि महिलाओं के लिए समाज में बेहतर स्थान सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, एक बात हम कहना चाहते हैं। वैवाहिक कलह और किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों में पोस्को अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। हमें पुरुषों में कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद हर्षद पोंडा द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को नोटिस जारी किया था। पोंडा ने तर्क दिया कि निर्भया मामले के बाद बलात्कार से जुड़े कानूनों में हुए बदलावों की जानकारी आम जनता तक पहुंचानी जरूरी है। याचिका में कई सुधारात्मक उपायों की मांग की गई है।

इसमें शिक्षा मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग शामिल है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े दंडात्मक प्रावधानों को पढ़ाया जाए।

कोर्ट ने डीडीए को लगाई फटकार, 1 साल में भी आदेश का पालन नहीं होने पर एसडीएम को किया तलब

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में लगभग 20 हजार की आबादी वाला असोला गांव। शहरी क्षेत्र में समाहित हुए चार बरस बीत भी गए। न ग्राम सभा वाली सुविधाएं मिल रहीं और न ही शहरी वाली मिल पा रहीं। मजबूरन गांव के लोगों को कोर्ट का रुख करना पड़ा। छोटे-मोटे आयोजन हों या शादी-विवाह या फिर धार्मिक कार्यक्रम गांव में स्थान ही नहीं है। वर्ष 1957 का बना हुआ बारात घर खंडहर में बदल चुका है। उसी के स्थान पर अब सामुदायिक भवन या बारातघर बनाने की मांग गांव के लोग कर रहे हैं। कोर्ट ने इसके लिए पिछले वर्ष 25 अक्टूबर 2024 को ही डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) को सारे गतिरोध खत्म करते हुए आठ सप्ताह में काम शुरू करने का आदेश दिया था। पर एक वर्ष बाद भी स्थिति जस की तस है। विगत 30 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने डीडीए को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट के साथ एसडीएम साकेत को तलब किया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जनवरी 2026 को होनी है। वर्ष 2021 से पहले तक असोला गांव की गिनती ग्रामीण इलाकों में होती थी। फिर इसका शहरीकरण किया गया। गांव में छोटे किसान, मजदूर, भूमिहीन लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है। बावजूद इसके क्षेत्र में कोई सामुदायिक भवन नहीं। धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए महंगे फार्म हाउस बुक करने पड़ते हैं। वहीं, लगभग 68 वर्ष पुराना जो सामुदायिक केंद्र ग्राम सभा के खसरा नंबर-43 (शामलात थोक भूमि) पर था, वह अब खंडहर है। शहरीकरण के बाद ग्राम सभा का यह खसरा नंबर अब डीडीए। इसी के स्थान पर स्थानीय निवासी अब नए सामुदायिक भवन की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता त्रिपाल महाशय के मुताबिक, कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी कोई काम शुरू नहीं किया गया। एसडीएम साकेत की ओर से इसे लेकर डीडीए से कई बार पत्राचार भी हुए, पर कोई सकारात्मक पहल अब तक नहीं हो सकी।

डिजिटल युग में गोपनीयता भी होनी चाहिए सुरक्षित, महिला आयोग ने कहा- साइबर कानूनों पर समीक्षा जरूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत के साइबर कानूनों की व्यापक समीक्षा की मांग की है ताकि महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता और ऑनलाइन जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। आयोग ने अपने कानूनी समीक्षा हेतु अनुशंसात्मक रिपोर्ट 2024-25 में सरकार से ऐसे सशक्त कानूनों की जरूरत बताई है जो न केवल अपराधियों को दंडित करें बल्कि महिलाओं की गरिमा और डिजिटल स्वतंत्रता की रक्षा भी करें। यह रिपोर्ट कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, और गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत की साइबर कानूनी संरचना को लैंगिक दृष्टिकोण से पुनर्गठित करना है। वर्षभर चले इस अभियान में देशभर में आठ क्षेत्रीय और दो राष्ट्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें न्यायविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

साइबर स्पेस में बढ़ते खतरे

आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि डिजिटल दुनिया ने महिलाओं के लिए सीखने, रोजगार और अभिव्यक्ति के अनगिनत अवसर खोले हैं, लेकिन साथ ही यह नए प्रकार के खतरे और भय का केंद्र भी बन गई है। उन्होंने कहा कि आयोग ऐसी डिजिटल व्यवस्था चाहता है जहां कानून केवल दंड देने तक सीमित न हों बल्कि महिलाओं की गरिमा और आत्मविश्वास की भी रक्षा करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइबर सुरक्षा अब महिलाओं के सशक्तिकरण का एक अहम स्तंभ बन चुकी है।

कानूनों में सुझाए गए ये सुधार

रिपोर्ट में 200 से अधिक ठोस सुझाव दिए गए हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में संशोधन की सिफारिश की गई है। आयोग ने ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कड़ी सजा, पीड़ित मुआवजा फंड, निजी डेटा की सुरक्षा, और गैर-सहमति वाले कंटेंट को तुरंत हटाने की व्यवस्था पर जोर दिया है। साथ ही, आईटी अधिनियम की धाराओं 66, 66ष्ट और 66ह्व के तहत सजा बढ़ाने और धमकी देने वाले मामलों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

डिजिटल अपराधों से निपटने के उपाय

एनसीडब्ल्यू ने एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से बनाए गए फर्जी फोटो या वीडियो को भी आईटी नियमों में शामिल करने की बात कही है। आयोग ने ऑनलाइन कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए पीओएसएच अधिनियम, 2013 का दायरा बढ़ाने और महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति अधिनियम, 1986 में संशोधन की भी सिफारिश की। इसके अलावा, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर पोक्सो अधिनियम में भी बदलाव की अनुशंसा की गई है। रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता और समुदाय-आधारित जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है ताकि महिलाएं डिजिटल माध्यमों में सुरक्षित रह सकें।

दिल्ली में जहरीला स्मॉग बरकरार, एक्यूआई 400 के करीब

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों से सामने आ रहे हर दिन के आंकड़े सेहत बिगाड़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में एक्यूआई का स्तर भिन्न-भिन्न देखा जा रहा है, लेकिन अधिकांश जगहों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के एम्स में 297, लोधी रोड और तिलक मार्ग के आसपास 153, आनंद विहार में 392, कर्तव्य पथ पर 278 एक्यूआई दर्ज किया गया है। लोधी रोड और तिलक मार्ग के आसपास सुबह-सुबह हवा में धुंध साफ नजर आ रही है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए घर से बाहर निकलना और सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। राजधानी में हवा की गति तेज होने से पारा गिरने से लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है। लेकिन, सोमवार को हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 309 दर्ज किया गया, जिसमें रविवार की तुलना में 57 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, एनसीआर में गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। वहां एक्यूआई 340 दर्ज किया गया, यह बेहद खराब श्रेणी है। वहीं, गुरुग्राम में 235, नोएडा में 312 और ग्रेटर नोएडा में 300 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके अलावा, फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। वहां सूचकांक 198 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है। वहीं, सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। ऐसे में दिनभर आसमान में हल्की स्मॉग की चादर देखने को मिली। इसके चलते सुबह के समय दृश्यता भी कम रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान मंगलवार को हवा गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सीपीसीबी के अनुसार, रविवार को हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली। वहीं, अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 2100 मीटर रही।

इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 15200 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर, दोपहर तीन बजे हवा में पीएम10 की मात्रा 273.4 और पीएम2.5 153.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। सीपीसीबी के अनुसार, राजधानी के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा बेहद खराब में रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ इलाकों में एक्यूआई खराब रहा। वजीरपुर में 380, विवेक विहार में 402, आरके पुरम में 401, रोहिणी में 396, अशोक विहार में 350, आनंद विहार 362, अलीपुर 362, बवाना में 369 और जहांगीरपुरी में 373 समेत 10 इलाकों में एक्यूआई 350 के ऊपर दर्ज किया गया। दीपावली के बाद से दिल्ली में कई इलाकों में एक्यूआई खराब और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है,

छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर : 6 की मौत

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में भिड़ंत हो गई। यह घटना बिलासपुर-कोरबा लिंक पर हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। 15 से ज्यादा घायलों को बिलासपुर सिम्स अस्पताल और रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह से बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर ट्रेनों का आना-जाना ठप हो गया है। हादसे के कारण पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। कई ट्रेनों को रद्द या रूट डायवर्ट कर दिया गया।

सिग्नल फेल्योर की आशंका

कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं या उनका रूट बदल दिया गया है। पैसेंजर्स को भेजने के लिए दूसरी व्यवस्था की जा रही है। हादसे की

टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए।

वजह जानने के लिए रेलवे ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सिग्नल फेल्योर की आशंका है। ट्रैक से डिब्बों को हटाने का काम किया जा रहा। हादसे के कारण ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। मौके पर रेलवे के सीनियर अफसर मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कई पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर फंसे हैं। क्रेन और गैस कटर की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है।

एक ही ट्रैक पर आ गईं दोनों ट्रेनें

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पैसेंजर ट्रेन गेवरा से बिलासपुर की ओर जा रही थी। वहीं, मालगाड़ी बिलासपुर से आ रही थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास लाल खदान के करीब पहुंचते ही दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं। इससे आमने-सामने की टक्कर हो गई।

घायलों को कराया गया भर्ती

घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है , जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई ।

मौके पर यात्रियों की चीख पुकार मची हुई थी। सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे । रेलवे और जिला प्रशासन को मामले की सूचना दी गई, इसके बाद बचाव और राहत कार्य जारी है।

जीविका दीदियों पर आरजेडी को शाह की दो टूक :10 हजार वापस लेने की बात भूल जाओ, कोई नहीं छीन पाएगा!

दरभंगा । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने के समय को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने पर राजद की आलोचना की। दरभंगा में उत्साही समर्थकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए, अपने विशिष्ट उत्साह के साथ, उन्होंने बोलना शुरू किया कि हाल ही में, मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये (प्रत्येक 10,000 रुपये) से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राजद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनसे यह राशि वापस लेने के लिए कहा है। अमित शाह ने आगे कहा, मैं जीविका दीदियों से कहना चाहता हूँ कि लालू और तेजस्वी को भूल जाइए, अगर उनकी पिछली तीन पीढ़ियाँ भी आ जाएँ, तो भी वे उनसे यह 10,000 रुपये नहीं ले पाएँगी। एनडीए सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, जिसके तहत एक करोड़ से ज्यादा जीविका दीदियों

(जीविका कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ) के बैंक खातों में स्वरोजगार शुरू करने में मदद के लिए ₹10,000 हस्तांतरित किए गए। अमित शाह के शब्द दृढ़ता से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। लालू और राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि न तो लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और न ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री। इन लोगों के लिए कोई जगह खाली नहीं है। इसके बाद गृह मंत्री ने बिहार के विकास के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। हम राय के हर जिले में कौशल विकास केंद्र बनवाएंगे। हर जिले में एक नया कारखाना लगेगा और राय में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएँगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तरह, हम बिहार में भी एक रक्षा गलियारा स्थापित करेंगे। बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य सीता माता मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण पूरा होते ही, हम अयोध्या और सीतामढ़ी को वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ देंगे...। अमित शाह द्वारा मतदाताओं से अपील करते हुए भीड़ में जोश भर गया। जब आप कमल का निशान दबाते हैं, तो इसका मतलब विधायक चुनना नहीं, बल्कि जंगल राज को खत्म करना होना चाहिए। क्या आप बिहार में लालू और राबड़ी के कार्यकाल के 15 साल के जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, लालू और राबड़ी ने बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया... अब किसी को एम्स के लिए दिल्ली या पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी; लोगों को दरभंगा एम्स में इलाज मिलेगा। अमित शाह द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बोलते हुए भीड़ का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के रुख पर जोर देते हुए कहा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।

महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत में बोले पीएम मोदी

बिहार में एनडीए की भारी जीत पर मुझे कोई संदेह नहीं, जंगलराज वालों को सबसे बड़ी हार मिलेगी

नई दिल्ली ।

बिहार चुनाव को लेकर गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी एनडीए के धुआंधार प्रचार में व्यस्त हैं। वह ताबड़तोड़ रैलियां कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। रैलियों के दौर के बाद अब पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से बात की। इस बातचीत में बोलते पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का भरोसा जताया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी रैलियों में रिकॉर्ड संख्या में महिलाएं आ रही हैं और नारे लगा रही हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को भारी जीत पर मुझे कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं से कहा, सुनिश्चित करें कि बिहार चुनाव में जंगल राज के समर्थकों को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़े। एनडीए सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नमो ऐप के जरिए बिहार की महिलाओं से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो एनडीए को विजयी बनाकर पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। जंगलराज वालों को उनकी सबसे बड़ी हार देखने को मिलेगी। बिहार का विकास एनडीए के नेतृत्व में ही हो सकता है। प्रधानमंत्री महागठबंधन पर हमला करने के लिए -जंगल राज- शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। जंगल राज शब्द का स्पष्ट संदर्भ उस समय से है जब बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का शासन था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ममता ने एसआईआर के खिलाफ किया शक्ति प्रदर्शन, भाजपा बोली - यह जमात की रैली

बंगाल ।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर उतरीं और मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ एक विशाल रैली का नेतृत्व किया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह पुनरीक्षण अभियान भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत से चलाया जा रहा है। बनर्जी अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ शहर के बीचों-बीच हजारों समर्थकों के साथ निकलीं। 3.8 किलोमीटर लंबा यह मार्च रेड रोड स्थित बीआर अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास, जोड़ासांको ठाकुर बाड़ी तक गया, जहाँ इसका समापन होना था। रास्ते में सड़कें टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भरी हुई थीं, जो पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे और एसआईआर प्रक्रिया की निंदा करते हुए चमकीले तख्तियाँ लिए हुए थे। अपनी जानी-पहचानी सफ़ेद सूती साड़ी और चप्पल पहने, मुख्यमंत्री जुलूस में सबसे आगे चल रही थीं, और बीच-बीच में रुककर उन निवासियों का अभिवादन कर रही थीं जो बालकनी से बाहर निकलकर या सड़क किनारे खड़े होकर उनको एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी उनके ठीक पीछे चल रहे थे और वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ जयकार कर रही भीड़ का अभिवादन कर रहे थे। हालाँकि, भाजपा ने तीखा पलटवार किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार के मार्च को जमात की रैली बताया और दावा किया कि यह भारतीय संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। इसी भावना को दोहराते हुए, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, अगर ममता जी को कुछ कहना है, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह अराजकता है और कानून-व्यवस्था का पूरी तरह से अभाव है।

घर से उसी को निकलने दो जो हमारे पक्ष में वोट करे! ललन सिंह का वीडियो वायरल; एफआईआर हुई दर्ज

पटना । बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। मोकामा में दिए भाषण पर राजनीतिक हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया है और ललन सिंह को पहले नोटिस जारी किया गया और अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

राजद ने ली चुटकी– राजद ने एक्स पोस्ट में लिखा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है और अगर यादव हाथ-पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। इसके साथ ही, राजद ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने एक्स पर ललन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है कि जो लोग भाजपा-जदयू के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो।

छठ मैया पर सवाल उठा रहे युवराज! योगी का राहुल पर आस्था विरोधी राजनीति का आरोप

समस्तीपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने भगवान राम और राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, उसी तरह उनके युवराज अब छठ्ठी मैया पर सवाल उठा रहे हैं। समस्तीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, सीएम योगी ने कहा, ...पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के एजेंडे में बिहार का विकास नहीं है। जिस तरह कांग्रेस ने भगवान राम और राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, उसी तरह कांग्रेस के युवराज छठ्ठी मैया पर सवाल उठा रहे हैं...। वह बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दरभंगा में दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने नाटक किया और छठ पूजा के दौरान पीएम मोदी के स्नान के लिए एक अलग तालाब बनवाया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वह छठ के लिए यमुना में स्नान करेंगे। यमुना का पानी गंदा है। अगर कोई इसे पी लेता, तो या तो बीमार हो जाता या मर जाता। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। पानी इतना गंदा है कि अगर आप इसमें उतरते, तो बीमार हो जाते या संक्रमण हो जाता। लेकिन मोदी ने नाटक किया। उन्होंने वहाँ एक छोटा सा तालाब बनवा दिया। चुनाव में वे आपको कुछ भी दिखा देंगे। पीछे से एक पाइप लगाया जाता है। उसमें साफ पानी डाला जाता है। समस्या यह हुई कि किसी ने पाइप की तस्वीर ले ली।

जैसे रिमोट से टीवी चैनल बदलते हैं, उसी तरह मोदी-शाह 'नीतीश का चैनल बदलते हैं : राहुल गांधी

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि जिस तरह रिमोट के जरिये टेलीविजन चैनल बदले जाते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ''नीतीश कुमार का चैनल बदलते हैं तथा बिहार के मुख्यमंत्री वही करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ये दोनों शीर्ष नेता चाहते हैं। उन्होंने बिहार के औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह आरोप भी लगाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार में बिहार के युवाओं को ''देश का मजदूर बना दिया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दावा किया कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था, ''बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी सरकार है। नीतीश जी का कोई लेना-देना नहीं है। जैसे रिमोट से टीवी का चैनल बदला जाता है। वैसे ही मोदी जी और अमित शाह, नीतीश जी का चैनल बदलते हैं। वो जो चाहते हैं, नीतीश जी वही करते हैं। कांग्रेस नेता ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि ''कभी ऐसा समय था जब चीन, जापान और अन्य देशों के छात्र पढ़ाई के लिए बिहार आया करते थे, लेकिन आज बिहार के युवाओं को रोजगार के बजाय पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने घोषणा की कि ''इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा में विश्व स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, ''मोदी जी कहते हैं कि युवा रील्स बनाकर पैसा कमा रहे हैं। सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा बताइए, कौन कमा रहा है? उस पैसे से फायदा अडानी और अंबानी को हो रहा है। उन्होंने कहा कि ''प्रधानमंत्री युवाओं को व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि वे सवाल न पूछ सकें। मोदी जी युवाओं को एक नए 'नशे में लगा रहे हैं–जैसे शराब या ड्रग्स का नशा होता है।

एनडीए सरकार पर मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा स्थिति पर की आलोचना

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को बिहार की महिलाओं की सुरक्षा स्थिति को लेकर भाजपा-जदयू सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह स्वीकार करना चाहिए कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी वे राय को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अगर आज मोदी जी को यह कहना पड़ रहा है कि बिहार में बहुएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो यह उनकी अपनी सरकार की नाकामी का प्रमाण है। 20 साल में भी बिहार सुरक्षित नहीं बन सका। बिहार में भाजपा-जदयू की सरकार 20 साल से है। अगर आज भी मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि बिहार में बहू-बेटियां सुरक्षित नहीं, तो ये उनका खुद का self-admission है कि 20 साल में उन्होंने बिहार को सुरक्षित नहीं बनाया

। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि राय में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बिहार में 70 प्रतिशत बच्चे खून की कमी (एनीमिया) से पीड़ित हैं और 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। केवल 11 प्रतिशत शिशुओं को पर्याप्त पोषण मिल पाता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। खरगे ने महागठबंधन की ओर से महिलाओं के लिए किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1,500 से 3,000 तक की मासिक पेंशन देने का भी वादा किया गया है। साथ ही, जीविका दीदी को सरकारी मान्यता देने की घोषणा की गई है। खरगे ने कहा, हमारे वादे केवल चुनावी जुमले नहीं हैं। जो वादे हम करते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं–जैसा हमने कांग्रेस शासित राज्यों में किया है। बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवम्बर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवम्बर को होगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है।

नीतीश सरकार पर मुकेश सहनी का तीखा वार : दिल्ली के रिमोट से चल रही बिहार की नौकरशाही

पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में बदलाव की एक तेज लहर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों का नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से मोहभंग हो गया है और अब वे तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें वे रोजगार के अवसरों से जोड़ते हैं। सहनी ने कहा कि महागठबंधन के अभियान को समाज के सभी वर्गों से जबरदस्त उत्साह मिल रहा है और तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी युवाओं के बीच एक भावना बन गई है। मुकेश सहनी ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि यह (प्रचार) बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार बदलने को लेकर हर समुदाय में बहुत उत्साह है। सभी आश्वस्त हैं– तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। लोग पिछले 20 सालों की सरकार से तंग आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए सहनी ने आरोप लगाया कि राय प्रशासन नौकरशाहों और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। वह कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। नौकरशाह फैसले ले रहे हैं। सरकार

दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सहनी ने कहा कि ऐसी टिप्पणियाँ निषाद समुदाय का अपमान है। उन्होंने आगे कहा, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। राहुल गांधी निषाद समुदाय के साथ खड़े हुए, उन्हें सम्मान और उनके साथ मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरे। उस पर टिप्पणी करना बिहार के निषाद समुदाय का अपमान है। गिरिराज सिंह और एनडीए हमेशा इसी तरह निषाद समुदाय का अपमान करते हैं। उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए, सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कई ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन वह चुनावी राजनीति में व्यस्त रहते हैं। इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बिहार में महागठबंधन के सत्ता में आने पर किसानों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई वादों की घोषणा की। एएनआई से बात करते हुए, यादव ने कहा कि किसानों को मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा धान के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेंगे, और अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उन्हें सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा, हम किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे।